



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com



सं. : 2040 / प्रशा0-एक-1402 / 2019

दिनांक : 19.12.2019


विज्ञप्ति

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, में रिक्त सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता (सिविल), अवर अभियन्ता (विद्युत), लेखाकार एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर अस्थायी रूप से फिक्स मानदेय पर सीमित अवधि हेतु सेवाये ली जानी है। निर्धारित शर्तें / अर्हता / पदनाम एवं मानदेय निम्नानुसार होंगे :-

क्र. सं.	सेवा निवृत्त पदनाम	जिस पदनाम से सेवाये ली जानी है एवं अधिकतम देय मानदेय	अनुभव / अर्हता / शर्तें / प्रतिबन्ध
1	सहायक अभियन्ता-सिविल / विद्युत	Technical Advisor (रु. 30000.00 प्रतिमाह)	1. ऐसे कार्मिक जो विभिन्न सरकारी विभागों / उपक्रमों / निकायों से सेवानिवृत्त हो तथा दिनांक 01.01.2020 को जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो। 2. आवेदनकर्ता के सेवानिवृत्त संस्थान में सेवाकाल के दौरान कार्य व्यवहार अच्छा रहा हो के सम्बन्ध में अनुभव प्रमाण पत्र। 3. मूल विभाग से सेवा विवरण एवं विगत पाँच वर्षों की संतोषजनक सेवा / अनुशासनिक कार्यवाही एवं गोपनीय प्रविष्टियों का विवरण। 4. निर्धारित मानदेय पेंशन के अतिरिक्त होगा। 5. सेवाकाल सीमित अवधि हेतु होगा, जिसे कार्य संतोषजनक सेवा एवं आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। 6. परिषद से सेवानिवृत्ति कार्मिक की अस्थायी सेवाये उनके अंकित सेवानिवृत्ति कार्यालय के अलावा प्रदेश में स्थित अन्य किसी भी कार्यालय में आवश्यकता के आधार पर ली जा सकती है।
2	अवर अभियन्ता-सिविल / विद्युत	Technical Expert (रु. 25000.00 प्रतिमाह)	
3	लेखाकार	Account Advisor (रु. 25000.00 प्रतिमाह)	
4	प्रशासनिक अधिकारी	Administrative Expert (रु. 20000.00 प्रतिमाह)	

आवेदन का प्रारूप

1. नाम
2. पिता का नाम
3. सेवानिवृत्त के समय धारित पद (पी0पी0ओ0 की स्व प्रमाणित प्रति)
4. अनुभव (जिस संस्थान से सेवा निवृत्त हुआ हो)
5. सेवा निवृत्ति पहचान पत्र
6. जन्म तिथि ईमेल आईडी.....
7. स्थाई पता
8. पत्राचार का पता मोबाइल नं.



घोषणा पत्र

आवेदन प्रारूप पर दी गयी सूचना / तथ्य / आख्या असत्य पाये जाने पर मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाये, जो मुझे मान्य होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

इच्छुक सेवा निवृत्त कार्मिक दिनांक 27.01.2020 तक अपना सेवा विवरण एवं क्रमांक 3, 4, 5, 6 एवं 7 से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर, आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को डाक / व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें पृथक से निर्धारित की जायेगी।